



भारत सरकार: वित्तसंचालय: राजस्वविभाग

GOVERNMENT OF INDIA: MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधानमुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI

द्वीतल, आयकर भवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी- 781 005

2NDFLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI - 781 005

TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596

e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

फाइल सं. A-11/Pt.232/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2025-26/ 764-864

दिनांक- 21.03.2026

DIN :

सेवा में,

भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
भारत के सभी मुख्य आयकर आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग
पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रधान आयकर आयुक्त

आदरणीय महोदया/महोदय,

विषय: "मेसर्स अपोलो हॉस्पिटल" (असम हॉस्पिटल लिमिटेड की एक इकाई) [PAN: : AAECA3073E], लोटस टावर, जी.एस. रोड, गुवाहाटी, असम - 781005 के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन - के सूचनार्थ - के संबंध में

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लें।

सूचित किया जाता है कि "मेसर्स अपोलो हॉस्पिटल" (असम हॉस्पिटल लिमिटेड की एक इकाई) [PAN: AAECA3073E], लोटस टावर, जी.एस. रोड, गुवाहाटी, असम - 781005 के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के तहत पंजीकरण के लिए अनुमोदन 06.03.2026 से प्रभावी है और 05.03.2028 तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन और ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक नियम 3ए (1) के तहत वैधानिक शर्तों के अस्पताल के निरंतर अनुपालन के अधीन है।

इसकी एक प्रति आप के सूचनार्थ हेतु संलग्न कि जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय

सुमित पुरकायस्थ, भा.रा.से/Sumit Purkayastha, I.R.S
संयुक्त आयकर आयुक्त (ओ.एस.डी)
प्रभारी उप आयकर उपायुक्त (तकनीकी)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र
गुवाहाटी



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT
PCCIT, NORTH EAST REGION

To, ASSAM HOSPITALS LIMITED INTERNATIONAL HOSPITAL LOTUS TOWER, G S ROAD CHRISTIAN BASTI GUWAHATI 781005, Assam India	
--	--

PAN: AAECA3073E	Dated: 21/04/2026	DIN & Order No : ITBA/COM/F/17/2026-27/1088551367(1)
--------------------	----------------------	---

Sir/ Madam/ M/s,

Subject: Proceedings under section 17(2) - Order

विषय/Sub: "– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के परंतुक के उप-खंड (b) के खंड (ii) के पर्योजनार्थ, अस्पताल के नवीनीकरण के पंजीकरण हेतु अनुमोदन — "M/s Apollo Hospital (Assam Hospital Limited की एक इकाई), (PAN: AAECA3073E), Lotus Tower, G.S. Road, Guwahati, Assam- 781005" के मामले में — के संबंध में/ Approval for renewal of registration of hospital for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 in the case of "M/s Apollo Hospital (A unit of Assam Hospital Limited), (PAN: AAECA3073E), Lotus Tower, G.S. Road, Guwahati, Assam- 781005- reg.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (b) के तहत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एतद्वारा, किसी अस्पताल को अनुमोदन प्रदान करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 3A (1) और 3A(2) में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, "M/s Apollo Hospital (Assam Hospital Limited की एक इकाई), (PAN: AAECA3073E), Lotus Tower, G.S. Road, Guwahati, Assam- 781005" को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के परंतुक के खंड (ii) के उक्त उप-खंड (b) के पर्योजनार्थ के लिए, अनुमोदन प्रदान करता हूँ/ In exercise of the powers conferred on the Principal Chief Commissioner of Income Tax under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the Principal Chief Commissioner of Income Tax, North Eastern Region hereby having regard to the guidelines prescribed in Rule 3A (1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962 for the grant of approval to a hospital, grant approval to "M/s Apollo Hospital (A unit of Assam Hospital Limited), (PAN: AAECA3073E), Lotus Tower, G.S. Road, Guwahati, Assam- 781005 for the purposes of the said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to Sub-clause (viii) of the clause (2) of section 17 of the Income

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI, GUWAHATI, Assam, 781005
Email: NER.PCCIT@INCOMETAX.GOV.IN,

Tax Act, 1961..

2. यह मंजूरी केवल उस राशि पर लागू होती है जो किसी नियोक्ता द्वारा, कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज पर, ऊपर बताए गए अस्पताल में, Income Tax Rules 1962 के Rule 3A(2) में बताई गई निर्धारित बीमारियाँ या तकलीफ़ों के लिए किए गए वास्तविक खर्च के संबंध में दी गई हो; Income Tax Act, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के उद्देश्यों के लिए, इस राशि को कर्मचारी के हाथों में 'परक्विज़िट' (अतिरिक्त लाभ) नहीं माना जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है/ The approval is applicable only in relation to any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the above mentioned hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of the Income Tax Rules 1962, shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of section 15, 16 & 17, of the Income Tax Act, 1961 as under :-

1. कैंसर (रेडियोथेरेपी को छोड़कर)/Cancer (except Radio therapy)
2. क्षय रोग/Tuberculosis
3. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम/Acquired Immunity deficiency Syndrome
4. हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथिका, अस्थिमज्जा, श्वसन प्रणाली, स्नायु संबंधी प्रणाली, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचक प्रणाली, अंतःस्रावी ग्रंथिका या त्वचा संबंधी रोग या व्याधि, जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो /disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
5. आँख, कान, नाक या गला संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो/ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation.
6. अस्थिपंजर प्रणाली के किसी भाग में फ्रैक्चर या मेरुदंड की गड़बड़ी जिसके लिए सर्जिकल आपरेशन या आर्थोपेडिक्स उपचार की आवश्यकता हो/fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopedic treatment.
7. स्त्री रोग या प्रसूति संबंधी बीमारियाँ या रोग, जिनके लिए सर्जिकल ऑपरेशन, सीज़ेरियन ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो /Gynecological or obstetric ailments or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention.
8. ऊपर (d) में वर्णित आर्गन्स संबंधी व्याधि या रोग जिसमें कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो ailment or disease of the organs mentioned at (d), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
9. स्त्री रोग या प्रसूति संबंधी बीमारियाँ या रोग, जिनके लिए अस्पताल में कम से कम लगातार तीन दिनों तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो /Gynecological or obstetric ailments or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
10. मानसिक विकार (न्यूरोटिक या साइकोटिक) - जिसके लिए अस्पताल में कम से कम लगातार तीन दिनों तक चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता हो /Mental disorder neurotic or psychotic- requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
11. एनाफाइलैक्टिक शॉक जिसमें इंसुलिन शॉक, ड्रग रिएक्शन और दूसरी एलर्जी शामिल हैं, जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है/ Anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

3. मंजूरी किसी भी समय वापस ली जा सकती है, यदि यह पाया जाता है कि यह मंजूरी धोखाधड़ी और/या तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके हासिल की गई है, या यदि आयकर नियम, 1962 के नियम 3A के उप-नियम (1) में बताई गई ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं की गई

हैं; और यदि मंजूरी को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में बाद में हुए बदलावों के कारण ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है, तो इसमें संशोधन/वापसी की जा सकती है/ This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the approval has been obtained through fraud and/or misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in Sub- Rule (1) of Rules 3A of the Income Tax Rule, 1962 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in the provisions governing the approval.

4. यह मंजूरी केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड 2 के उप-खंड (viii) के परंतुक के उप-खंड (b) के पर्योजन के लिए है, और इसे किसी अन्य पर्योजन के लिए केंद्र सरकार, या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, NER, गुवाहाटी, या सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण की मंजूरी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए/The approval is only for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of clause 2 of section 17 of the Income Tax Act, 1961 and should not be construed as approval of the central Government or the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. ह मंजूरी 06.03.2026 से लागू होगी और 05.03.2028 तक प्रभावी रहेगी। यह मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि अस्पताल, नियम 3A(1) के तहत ऐसी मंजूरी के लिए ज़रूरी वैधानिक शर्तों का लगातार पालन करता रहे, और साथ ही, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मंजूरी को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी भी संशोधन के कारण ज़रूरी होने वाले बदलावों को भी अपनाए/ This approval takes effect from 06.03.2026 and shall remain in force till 05.03.2028. This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income Tax Act, 1961.

6. अनुमोदन का यह आदेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है / This order of the approval are subject to the following terms and conditions:

- a) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और यह केवल इस आदेश के पैरा संख्या 1 में उल्लिखित अस्पताल के अधीनस्थ परिसर पर लागू होता है / This approval is not transferable and is applicable only to the premises occupied by the hospital as mentioned in para 1 of this order.
- b) अस्पताल आयकर विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुला रहेगा जो इस संबंध में विधिवत अधिकृत हैं /The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officer of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.
- c) अस्पताल को आयकर नियम, 1962 के नियम 3A(1) और 3A(2) में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। यदि अस्पताल कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करना बंद कर देता है, तो अस्पताल के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना तत्काल दे/ The hospital shall conform to such conditions as are prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962. In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be

mandatory on the part of the Hospital to intimate such fact immediately the authority issuing this approval.

- d) वर्तमान अनुमोदन के समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले अनुमोदन के नवीकरण से संबंधित आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है/The application for renewal of approval should be submitted at least sixty (60) days before the expiry of current approval.
7. The DIN intimation is enclosed with the letter.

NINGREIRUM LONGVAH
PCCIT, NORTH EAST REGION

Copy to:

1. All the Principal Chief Commissioners of Income Tax of India.
2. All the Chief Commissioners of Income Tax of India
3. The Director General (Inv.), WB & Sikkim and NER
4. The Principal Commissioners of Income Tax, Guwahati/ Shillong
5. The DD(OL) for information.

The Commissioner of Income Tax, TDS, Guwahati, with the request to upload the copy of the order to the TRACES portal

NINGREIRUM LONGVAH
PCCIT, NORTH EAST REGION

(In case the document is digitally signed please refer Digital Signature at the bottom of the page)

Signature Not Verified
Digitally Signed,
Name: NINGREIRUM LONGVAH
Date: 21-Apr-2025 14:31:12
Location: SHILLONG